संख्या-12/39-4-2018-10(7)/16

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2018

विषय - उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) व सतर्कता अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-416/39-4-2017-10(7)/16 दिनांक 13.04.2017 एवं 975/39-4-17-10(7)/16 दिनांक 05.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान की मॉगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 26.12.2017 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-05 सन् 2017) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। अत: अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-04-उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (मतदेय) के मदों के अन्तर्गत **कुल रू0 1,52,30,000/- (रूपये एक करोड़ बावन लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :- **(धनराशि रूपये लाख में)**

क्र0	**मदें**	**2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	01-वेतन	100.00
2	02-मजदूरी	5.16
3	09-विद्युत देय	22.00
4	10-जलकर/जलप्रभार	14.14
5	17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	11.00
	योग	**152.30**

2- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रदर्शित अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-04-उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (मतदेय) के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 03.08.2017 एवं 20.11.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2017/ बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27.12.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव ।

संख्या-12(1)/39-4-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।
(6) कम्प्यूटर सहायक को शासनादेश अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव ।